[2018] 6 एस. सी. आर 533

मेसर्स जियोमिसोर सर्विसेज (I) पी. वी. टी. लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.

एम/एस हुट्टी गोल्डमाइन कंपनी। लिमिटेड और ओ. आर. एस.

(2017 की सिविल अपील संख्या 2537)

08 मई, 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957:एसएस।11 (1) और 17 ए (2)–खनन क्षेत्र का आरक्षण।17 ए (2)–अनुमति–दो निजी कंपनियों (अपीलकर्ताओं) के पक्ष में टोही परमिट (आरपी) का अनुदान–उनके द्वारा किया गया टोही–टोही रिपोर्ट के आधार पर, आगे प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस (पीएल) यू/एस के अनुदान के लिए आवेदन किया।11 (1)–इसके बाद, प्रत्यर्थी (एक सरकारी कंपनी) ने यू/एस के तहत आरक्षण की मांग की।17 ए (2) उन क्षेत्रों के संबंध में जिनके लिए अपीलकर्ता–कंपनियों को अनुमति दी गई थी आरपी–राज्य सरकार ने आरक्षण के लिए मंजूरी मांगी–केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और राज्य को अपीलार्थीगण के पीएल आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया–प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका–उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित कंपनी–अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःधारा 11 (1) और धारा.17 ए (2) विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है और इसका एक–दूसरे से कोई संबंध नहीं है–राज्य सरकार के पास यू/एस के तहत एक क्षेत्र आरक्षित करने की शक्ति है।17 ए (2) केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ–एक आरपी धारक पीएल यू/एस के अनुदान के लिए वरीयता का हकदार है।11 (1)–लेकिन, भूमि को आरक्षित करने में कोई रोक नहीं है।17 ए (2), यदि भूमि आरपी–केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो यू/एस के तहत आरक्षण के अनुरोध पर विचार करते समय।17 ए (2), विभिन्न कारकों को ध्यान में रख सकता है जो आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हैं–आरपी का अनुदान हालांकि आरक्षण के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, लेकिन यह आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अन्य कारकों के साथ–साथ एक कारक हो सकता है–जब तक कि आरक्षण नहीं होता है, एक निजी कंपनी एक सरकारी कंपनी के समान आधार पर खड़ी होती है–वर्तमान मामले में, आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय लेते

समय ध्यान में रखे गए कारक प्रासंगिक थे और मुद्दों के लिए समान थे–अपीलार्थीगण यू/एस को प्राथमिकता देने के हकदार थे।11 (1)–केंद्र सरकार ने यू/एस के तहत आरक्षण के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।17 ए (2)।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः1. राज्य भूमि और खनिजों का स्वामी है।हालांकि, खानों का नियंत्रण और विनियमन और खनिजों का विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।राज्य सरकार को खानों और खनिज विकास के विनियमन के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अपनी विधायी शक्ति से वंचित किया जाता है, जहां तक कि वह क्षेत्र खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है।यह केवल तभी है जब क्षेत्र खाली हो कि राज्य अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सके।अन्यथा, उसे अधिनियम और खनिज रियायत नियम, 1960 द्वारा राज्य सरकार को विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अपनी शक्ति का सख्ती से प्रयोग करना होगा।अधिनियम की धारा 17 ए (2) में निहित आरक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्य सरकार को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है।

2. अधिनियम की धारा 17 ए (2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी से किसी सरकारी कंपनी या निगम के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को संभावित या खनन कार्यों के लिए आरक्षित कर सकती है।अधिनियम उन मापदंडों को निर्धारित नहीं करता है जिनका केंद्र सरकार को पालन करना आवश्यक है।इसलिए, केंद्र सरकार आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक सभी कारकों को ले सकती है।राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 (एन. एम. पी. 2008) देश की एक नीति होने के नाते, इस तरह के अनुरोध पर विचार करते समय निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है।.

3. सरकार की नीति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता।केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करते समय, विभिन्न कारकों को ध्यान में रख सकती है जिनमें आर्थिक कारक, वैश्विक विश्व समुदाय के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को दर्शाने वाले कारक और राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य कारक शामिल हो सकते हैं।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल उन कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है, जो अधिनियम या नियमों से आते हैं।

मेसर्स जियोमिसोर सर्विसेज (I) पी. वी. टी. लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.एम/एस हुट्टी गोल्डमाइन कंपनी। लिमिटेड और ओ. आर. एस.

4. अधिनियम की धारा 11 (1) और धारा 17 ए (2) का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है।अधिनियम की धारा 11 (1) क्रमशः पी. एल. और खनन पट्टा (एम. एल.) के अनुदान के लिए उनके मामले पर विचार करते समय टोही परमिट (आर. पी.) धारक और पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी. एल.) धारक को वरीयता देने से संबंधित है।इसका अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत भूमि के आरक्षण से कोई लेना–देना नहीं है। एकमात्र संबंध, यदि इसे ऐसा कहा जा सकता है, तो यह है कि यदि कोई भूमि पी. एल. या एम. एल. के तहत है, तो अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत, एक आर. पी. धारक, जिसने टोही की है, वरीयता का हकदार है जब उसका मामला पी. एल. के अनुदान के लिए विचार किया जा रहा है। हालांकि, अधिनियम की धारा 17 ए (2) में आरक्षण पर रोक केवल उन मामलों में है जहां भूमि पीएल या एमएल के तहत है। जब कोई भूमि पी. एल. या एम. एल. के तहत होती है, तो उक्त भूमि को आरक्षण के लिए भी नहीं माना जा सकता है।यदि आरक्षित की जाने वाली भूमि पी. एल. या एम. एल. के तहत नहीं है, तो राज्य भूमि आरक्षित करने का प्रस्ताव कर सकता है।यदि आरक्षित की जाने वाली भूमि आर. पी. द्वारा कवर की जाती है तो राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा शोषण के लिए भूमि आरक्षित करने पर कोई रोक नहीं है।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के प्रस्ताव पर विचार करते समय केंद्र सरकार को आरक्षण देना चाहिए।केंद्र सरकार को मंजूरी देते समय स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाना पड़ता है और ऐसा करते समय, ऐसा कुछ भी नहीं है जो केंद्र सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखने से रोकता है कि किसी संस्था को आर. पी. और उसके प्रभाव को दिया गया था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार प्रस्ताव को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकती कि आर. पी. जारी किया गया था क्योंकि यह अधिनियम की धारा 17 ए (2) के प्रावधानों के विपरीत होगा। हालाँकि, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे भूमि के आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय लेते समय अन्य तथ्यों के साथ ध्यान में रखा जा सकता है।

5. वर्तमान मामले में, केंद्र सरकार ने विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा और नोट किया कि आरपी के अनुसार अपीलार्थी संख्या 1 और 2 द्वारा पीएल आवेदन पहले ही दायर किए जा चुके थे। इसने वस्तुतः यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार का अनुरोध विलंबित चरण में था और एन. एम. पी., 2008 के

प्रावधानों के खिलाफ था, जिसमें एक नियामक वातावरण प्रदान करने पर जोर दिया गया था जो निजी निवेश के लिए अनुकूल हो।यह सच हो सकता है कि केंद्र सरकार इस तथ्य से प्रभावित थी कि आर. पी. के अनुसार अपीलार्थीगण ने टोही पूरी कर ली थी और अपनी समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन अन्य प्रासंगिक कारक भी थे जिन्हें ध्यान में रखा गया था जैसे कि अपीलार्थीगण ने पहले ही पी. एल. के अनुदान के लिए आवेदन कर दिया था और प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए आरक्षण देने में कोई सुरक्षा विचार या सार्वजनिक हित शामिल नहीं था।इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा ध्यान में रखे गए कारक मुद्दों के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त हैं और इन्हें ऐसे कारक नहीं कहा जा सकता है जो बाहरी हैं या जिन्हें ध्यान में नहीं रखा जा सकता था।

6. अधिनियम की धारा 17 ए (2) में चार शर्तों की परिकल्पना की गई है। (क) भूमि प्रत्याशित अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा के तहत नहीं है; (ख) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन है; (ग) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुए आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की जाती है; और (घ) ऐसी अधिसूचना में उन खनिज या खनिजों की पहचान की जानी चाहिए जिनके संबंध में ऐसे क्षेत्रों को आरक्षित करने की मांग की जाती है। वर्तमान मामले में, केवल पहली शर्त पूरी की गई थी।अन्य कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई।इसलिए, कर्नाटक राज्य 27.12.2008 पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में सिफारिश जारी नहीं कर सकता था।जब तक आरक्षण नहीं होता, तब तक एक निजी कंपनी एक सरकारी कंपनी के समान ही खड़ी होती है और उस स्थिति में, अधिनियम की धारा 11 लागू होगी और अपीलार्थीगण जो आर. पी. धारक हैं और जो पहले पी. एल. आवेदक भी थे, उन्हें वरीयता दी जानी थी।केंद्र सरकार ने विचाराधीन भूमि को आरक्षित करने के कर्नाटक राज्य के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

इंडियन चार्ज क्रोम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और

ओआरएस। (2006) 12 एससीसी 331:[2006] 10 पूरक।एससीआर 640;

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड बनामभारत संघ और ओआरएस

(2012) 11 एस. सी. सी 1:[2012] 7 एससीआर 644; अमृतलाल

नाथूभाई शाह और अन्य बनाम केंद्र सरकार भारत और दूसरा (1976) 4 एस. सी. सी. 108:[1977] 1

एस. सी. आर.

372; टी. एन. बनाम राज्यमेसर्स हिंद स्टोन और अन्य

(1981) 2 एससीसी 205:[1981] 2 एससीआर 742; भारतीय धातुएँ

और फेरो अलॉयज लिमिटेड बनाम।भारत संघ और अन्य। (1992) 1 ए

मेसर्स जियोमिसोर सर्विसेज (I) पी. वी. टी. लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.एम/एस हुट्टी गोल्डमाइन कंपनी। लिमिटेड और ओ. आर. एस.

पूरक।एससीसी 91:[1990] 2 पूरक।एससीआर 27; टी. एन. बनाम राज्यएम. पी. पी. कावेरी चेट्टी (1995) 2 एससीसी 402:[1995] 1

एस. सी. आर. 441; संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड बनाम.

कर्नाटक राज्य और अन्य। (2010) 13 एस. सी. सी 1:[2010]

11 एससीआर 240; केरल राज्य और ओआरएस. v.केरल रेयर अर्थ एंड मिनरल्स लिमिटेड और अन्य। (2016) 6 एससीसी 323:

बी.

[2016] 5 एस. सी. आर. 515–संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2006] 10 पूरक।एस. सी. आर. 640 पैरा 8 [2012] 7 एस. सी. आर. 644 पैरा 25 [1977] 1 एस. सी. आर. 372 पैरा 28 [1981] 2 एस. सी. आर. 742 पैरा 29 [1990] 2 सप्लीमेंट को संदर्भित किया गया है।एस. सी. आर. 27 पैरा 31 [1995] 1 एस. सी. आर. 441 पैरा 32 [2010] 11 एस. सी. आर. 240 पैरा 36 [2016] 5 एस. सी. आर. 515 पैरा 38 को संदर्भित

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2017 की सिविल अपील संख्या 2537।

2011 की रिट याचिका संख्या 25899 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 03.04.2012 के निर्णय और आदेश से

के साथ

2017 की सिविल अपील संख्या 2538।

मनिंदर सिंह, ए. एस. जी., ए. के. पांडा, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, सी. एस. वैद्यनाथन, सी. यू. सिंह, जयदीप गुप्ता, बसव प्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, एस. ए. हसीब, टी. ए. खान, श्रीमती मनीषा वर्मा, प्रभास बजाज, अक्षय अमृतांशु, राज बहादुर यादव, श्रीमती अनिल कटियार, जी. एस. मक्कर, अरुण मणि, नवीन कुमार, निशी कांत सिंह, अभिनव रघुवंशी, नवीन आर. नाथ, एम. आर. सी. रवि, दर्पण के. एम., वी. एन. रघुपति, चिनमय देशपांडे, परीक्षित अंगड़ी, सुश्री रचिता, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता जे. 1.खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 17ए (2) के तहत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों या निगमों के लिए भूमि के आरक्षण के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करते समय केंद्र सरकार की क्या भूमिका और शक्ति है, यह इस मामले में शामिल मुख्य मुद्दा है।

वास्तविक पृष्ठभूमि

2. इस मामले का एक लंबा और पेचीदा इतिहास है।कर्नाटक राज्य में सोने की खदानें हैं और दल उन खदानों के दोहन के अपने अधिकारों के संबंध में मुकदमा कर रहे हैं।हमारे सामने दो अपीलार्थीगण हैं, मेसर्स जियोमायसोर सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, अपीलार्थीगण संख्या 1 (इसके बाद "जियोमायसोर" के रूप में संदर्भित) और डेक्कन गोल्ड एक्सप्लोरेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अपीलार्थीगण संख्या 2 (इसके बाद "डेक्कन" के रूप में संदर्भित)।3. 01.04.2000 पर जियोमिसोर ने 325 वर्ग किलोमीटर के लिए टोही अनुमति (संक्षिप्त 'आर. पी.' के लिए) के अनुदान के लिए आवेदन किया।किमी.हट्टी साउथ बेल्ट गोल्ड माइंस क्षेत्र में भूमि।केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद, राज्य सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए 03.11.2000 पर आर. पी. प्रदान किया।इसी तरह, दक्कन को हट्टी सोने की खानों के उत्तरी भाग में 501.48 वर्ग मीटर क्षेत्र

के लिए आर. पी. प्रदान किया गया था।किमी.सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 09.01.2003 पर 3 साल की अवधि के लिए।प्रत्यर्थी नं। 1 अर्थात मेसर्स हट्टी गोल्ड माइन्स कं. लिमिटेड (इसके बाद "एच. जी. एम. एल". के रूप में संदर्भित) ने दोनों में से किसी भी क्षेत्र के लिए आर. पी. के अनुदान के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया।

4. जियोमिसोर ने टोही का संचालन किया और 30.11.2003 पर एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की।डेक्कन ने 21.04.2006 पर अपनी समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की।दोनों कंपनियों को सोने के भंडार के अस्तित्व का सुझाव देने के लिए सबूत मिले और कुछ क्षेत्रों में आगे की संभावनाओं को पूरा करने की आवश्यकता है।टोही के परिणामों के आधार पर, जियोमाइसोर ने अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस (संक्षिप्त में 'पी. एल.') देने के लिए 4 आवेदन दायर किए। दक्कन ने उस क्षेत्र के संबंध में पी. एल. के अनुदान के लिए 7 आवेदन दायर किए जहां उसने टोही की थी।

5. 28.11.2006 पर, एचजीएमएल ने आयुक्त, भूवैज्ञानिक संसाधन विकास और निदेशक, खान विभाग ए को एक पत्र भेजा। और भूविज्ञान, बैंगलोर अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र के आरक्षण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह कहा गया था कि एच. जी. एम. एल. विचाराधीन क्षेत्र में संभावित जांच जारी रखने के लिए उत्सुक था।यह प्रस्तुत किया गया था कि विभिन्न संगठनों को खनन पट्टा (संक्षिप्त 'एमएल' के लिए) देने से सुरक्षा खतरों सहित गंभीर समस्याएं पैदा होंगी और इस तरह यह प्रार्थना की गई थी कि जिस क्षेत्र के लिए जियोमिसोर और दक्कन को आरपी दिया गया था, उस क्षेत्र सहित पूरे क्षेत्र को अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत आरक्षित किया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि जियोमिसोर को इस प्रस्ताव के बारे में पता चला और उसने भारत सरकार को 28.11.2006 पर ही एक पत्र भेजा और खनन क्षेत्र के आरक्षण के लिए खान मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजने के लिए कर्नाटक राज्य की विचारशील कार्रवाई का विरोध किया।6. इस बीच, दो अन्य घटनाएँ हुईं।खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 (संक्षेप में 'एन. एम. पी. 2008') प्रकाशित की और कर्नाटक सरकार ने एन. एम. पी., 2008 के अनुरूप कर्नाटक खनिज नीति, 2008 (संक्षेप में 'के. एम. पी., 2008') जारी की, जिसका हम बाद में विज्ञापन करेंगे।

7. 27.12.2008 पर, कर्नाटक सरकार ने एच. जी. एम. एल. के पक्ष में क्षेत्र के आरक्षण के लिए भारत सरकार को लिखा और 161 वर्ग किलोमीटर की सिफारिश की।किमी.खनन के लिए एच. जी. एम. एल. को भूमि आवंटित की जाए।इसमें वे क्षेत्र शामिल थे जिनके लिए जियोमिसोर और दक्कन को आरपी दिए गए थे और इसलिए, जियोमिसोर और दक्कन ने केंद्र सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं।राज्य सरकार के निर्णय के लिए मुख्य चुनौती यह थी कि अपीलार्थीगण पी. एल. के अनुदान के लिए अपने आवेदन पर विचार करते समय वरीयता के हकदार थे और उनके पी. एल. आवेदन भी समय से पहले दायर किए गए थे।यह भी आग्रह किया गया कि एन. एम. पी., 2008 और के. एम. पी. के संदर्भ में, 2008 का आरक्षण नहीं किया जा सका।केंद्र सरकार ने पुनरीक्षण याचिकाओं को मंजूरी दी और कर्नाटक राज्य को जियोमिसोर के साथ–साथ दक्कन द्वारा दायर पी. एल. आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया।

8. इसके बाद एच. जी. एम. एल. ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।उच्च न्यायालय ने कहा कि क्षेत्र का आरक्षण अभी तक नहीं हुआ है और चूंकि केंद्र सरकार को अभी भी राज्य सरकार के अनुरोध पर निर्णय लेना है, इसलिए यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि क्या जियोमिसोर और दक्कन द्वारा अधिनियम की धारा 11 के तहत दावा किया गया तरजीही अधिकार राज्य सरकार के अधिकार को विफल कर सकता है।

अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत क्षेत्र के आरक्षण की मांग करें। उच्च न्यायालय, भारतीय मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विचार करने के बाद चार्ज क्रोम लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.भारत संघ और अन्य। 1 आयोजित इस प्रकार है:"10. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, माननीय न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि धारा 17 ए (2) के तहत शक्ति वैधानिक शक्ति है और आम तौर पर वैधानिक शक्ति के प्रयोग के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है और केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए राज्य सरकार की सिफारिश विबंध रखा है।यह स्पष्ट है कि, तत्काल मामले में, निर्विवाद तथ्य यह है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्यर्थीगणओं को किसी भी स्थिति में पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया गया है और इस तरह विचाराधीन क्षेत्र वह नहीं है जो पहले से ही पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत आयोजित किया गया है।इसलिए, यदि उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखा जाता है, तो राज्य सरकार विचाराधीन क्षेत्र को आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन लेने की अपनी शक्तियों के भीतर थी।किसी भी स्थिति में, केंद्र सरकार को अपनी मंजूरी देने से पहले मामले के इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा और केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के किसी भी विचार

को प्रतियोगी प्रत्यर्थीगणओं द्वारा पुनरीक्षण आवेदन के रूप में नहीं दबाया जा सकता था और पुनरीक्षण प्राधिकरण भी हस्तक्षेप करने में उचित नहीं था।प्रतियोगी प्रत्यर्थीगणओं द्वारा दावा किए गए अधिमानी अधिकार को इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है और दिनांकित 27.12.2008 संचार को दरकिनार करके प्रतियोगी प्रत्यर्थीगणओं के आवेदनों पर विचार करने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था।उपयुक्त प्रक्रिया यह होगी कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.12.2008 के अपने संचार द्वारा मांगी गई मंजूरी पर निर्णय लेने की अनुमति दी जाए।इसके बाद, केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के विचार के परिणाम के आधार पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्यर्थीगणओं सहित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए आवेदनों पर विचार या अन्यथा किया जाएगा।यदि किसी भी कारण से केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है और ऐसी स्थिति में यदि आवेदन विचार के लिए खुले रहते हैं, तो और केवल तभी तरजीही अधिकार का सवाल विचार के लिए उत्पन्न होगा।"

9. नतीजतन, केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया और मामले को कानून के अनुसार निपटाने के निर्देश के साथ राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया।केंद्र सरकार ने मामले की जांच की और सरकारी उपक्रमों के लिए अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत भूमि के आरक्षण के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।आदेश में कहा गया है कि जियोमिसोर और डेक्कन ने उन्हें दिए गए आरपी के अनुसार टोही पूरी करने के बाद पहले ही पीएल आवेदन दायर कर दिए थे।जियोमिसोर और दक्कन के पी. एल. आवेदनों से निपटने के बजाय, राज्य सरकार ने अचानक केंद्र सरकार से भूमि आरक्षित करने का अनुरोध करने का फैसला किया।केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई एन. एम. पी., 2008 के पैरा 3 के घोषित उद्देश्य के खिलाफ है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि निजी निवेश के लिए अनुकूल एक नियामक वातावरण होना चाहिए; कि रियायत देने की प्रक्रिया पारदर्शी और निर्बाध रूप से रियायत पाने वालों को हस्तांतरण की गारंटी दी जानी चाहिए; कि राज्य सरकार की कार्रवाई पारदर्शी या निष्पक्ष नहीं थी; वह भूमि केवल वहीं आरक्षित की जा सकती है जहां निजी खिलाड़ी भूमि पर कब्जा नहीं कर रहे हैं या उन्होंने अन्वेषण या खनन के लिए आवेदन नहीं किया है जब तक कि सुरक्षा विचार या विशिष्ट सार्वजनिक हित शामिल न हों; कि चूंकि जियोमिसोर और डेक्कन ने अपने आर. पी. पूरे कर लिए हैं और पी. एल. में निर्बाध संक्रमण के लिए आवेदन किया है, इसलिए राज्य सरकार का भूमि आरक्षित करने का प्रस्ताव न तो सार्वजनिक हित में था और न ही एन. एम. पी., 2008 के संदर्भ में था।

10. एच. जी. एम. एल. ने तब केंद्र सरकार के दिनांक 31.05.2011 के आदेश को चुनौती देते हुए एक और रिट याचिका दायर की।जियोमिसोर और डेक्कन ने रिट याचिका में एक संयुक्त जवाब दायर किया और उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसे हमारे सामने चुनौती दी गई है।

11. रिट याचिका को अनुमति देने में उच्च न्यायालय के साथ मुख्य कारक यह था कि अधिनियम की धारा 11 के तहत, एक पक्ष जिसने आर. पी. के अनुसार टोही की थी, पी. एल. देने के समय वरीयता का हकदार था, अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत, "टोही अनुमति" शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता है।अदालत ने

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत निर्णय लेते समय, अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिमानी अधिकार की कोई भूमिका नहीं थी और इसलिए, राज्य सरकार के दावे को इस आधार पर विफल नहीं किया जा सकता था।चूंकि निर्णय अंतिम रूप ले चुका था, इसलिए मामले को फिर से नहीं खोला जाना चाहिए।इसने आगे कहा कि एन. एम. पी., 2008 अधिनियम की धारा 17 ए के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि नीति को वैधानिक प्रावधानों को रास्ता देना होगा।यह अभिनिर्धारित किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित दूसरे आदेश में वही खामियां हैं जो पहले के आदेश में थीं और इसलिए रिट याचिका को अनुमति दी गई और केंद्र सरकार के भूमि आरक्षित करने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया गया।

कानूनी प्रावधान

12. शुरुआत में, हम यह इंगित कर सकते हैं कि जहां तक इस मामले का संबंध है, हम वर्ष 2015 में इसके संशोधन से पहले अधिनियम पर विचार कर रहे हैं।अधिनियम की धारा 3 की उप–धाराओं (एच. ए.) और (एच. बी.) को डब्ल्यू. ई. एफ. 18.12.1999 से शुरू किया गया था और क्रमशः 'टोही संचालन' और 'टोही अनुमति' को परिभाषित किया गया था।वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः"(हा)" "टोही संचालन" "से क्षेत्रीय, हवाई, भूभौतिकीय या भू–रासायनिक सर्वेक्षणों और भूवैज्ञानिक मानचित्रण के माध्यम से किसी खनिज की प्रारंभिक संभावना के लिए किए गए किसी भी संचालन का अर्थ है, लेकिन इसमें गड्ढे, खाई, खुदाई (केंद्र

सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट ग्रिड पर बोरहोल की खुदाई को छोड़कर) या उप–सतह खुदाई शामिल नहीं है।"

(एच. बी.) "टोही परमिट" का अर्थ है टोही संचालन करने के उद्देश्य से दिया गया परमिट;

13. एक टोही परमिट परमिट धारक को टोही संचालन करने की अनुमति देता है।एक टोही परमिट धारक यह निर्धारित करने के लिए संचालन करता है कि क्या क्षेत्र कुछ न्यूनतम ड्रिलिंग को छोड़कर केवल गैर–आक्रामक तकनीकों के माध्यम से खनन के लिए उपयुक्त है।आम तौर पर, भूमि के विशाल क्षेत्रों के लिए टोही अनुमति दी जाती है।

14. अधिनियम की धारा 3 की उप–धाराएँ (जी) और (एच) क्रमशः 'पूर्वेक्षण लाइसेंस' और 'पूर्वेक्षण संचालन' को परिभाषित करती हैं।वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

"(छ)" "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" "से तात्पर्य पूर्वेक्षण संचालन करने के उद्देश्य से दिया गया अनुज्ञप्ति है;"

(ज) "संभावना संचालन" से खनिज भंडारों की खोज, पता लगाने या साबित करने के उद्देश्य से की गई कोई भी कार्रवाई अभिप्रेत है;15. आम तौर पर, टोही किए जाने के बाद, एक पक्ष यह निर्धारित करेगा कि खनिज भंडारों के स्थान को अधिक सटीकता के साथ निर्धारित करने के लिए विशाल क्षेत्र का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है।इस प्रकार, पी. एल. एक ऐसे क्षेत्र के लिए दिया जाता है जो आर. पी. क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है।पूर्वानुमान के दौरान, मौजूदा खनिज भंडारों को निर्धारित करने के लिए कानून के तहत अनुमत सीमा तक आक्रामक तरीकों का उपयोग किया जा सकता है और क्या उनका व्यावसायिक रूप से दोहन किया जा सकता है।

16. पूर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद, खनन पट्टा देने का चरण आता है।'खनन पट्टा' और 'खनन संचालन' को अधिनियम की धारा 3 की उप–धाराओं (सी) और (डी) में क्रमशः परिभाषित किया गया है।वही नीचे पढ़ा गया हैः

"(ग)" "खनन पट्टा" "से खनन कार्य करने के उद्देश्य से दिया गया पट्टा अभिप्रेत है और इसमें ऐसे उद्देश्य के लिए दिया गया उप पट्टा भी शामिल है;"

(घ) "खनन कार्य" से कोई भी खनिज प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य अभिप्रेत है।

17. टोही या संभावना के दौरान निवेश बहुत बड़ा होता है।ये छोटे निवेश नहीं हैं।इसलिए, एक व्यक्ति जिसने टोही का संचालन किया था, उसे पी. एल. अनुदान के लिए वरीयता दी जाती है और एक व्यक्ति जिसने पूर्वेक्षण का संचालन किया था, उसे एम. एल. अनुदान के लिए विचार करते समय वरीयता दी जाती है। इस संबंध में हम अधिनियम की धारा 11 (1) का उल्लेख कर सकते हैं जो इस प्रकार हैः

"11. कुछ व्यक्तियों का अधिमान्य अधिकार।–

(1) जहाँ ए किसी भी भूमि के संबंध में टोही परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस दिया गया है, परमिट धारक या लाइसेंसधारी को किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में उस भूमि के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिमानी अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि राज्य सरकार का समाधान हो कि परमिट धारक या अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी मामला हो, –

(ए) ऐसी भूमि में खनिज संसाधनों को स्थापित करने के लिए, जैसा भी मामला हो, टोही संचालन या पूर्वेक्षण संचालन किया है;

(बी) टोही परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है;

(ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं हो गया है; और (घ) यथास्थिति, टोही परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस की समाप्ति के बाद तीन महीने के भीतर, या ऐसी आगे की अवधि के भीतर, जो उक्त सरकार

द्वारा बढ़ाई जा सके, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदन करने में विफल नहीं हुआ है।"

18. उपरोक्त धारा का उद्देश्य यह है कि टोही या संभावना संचालन करने में खर्च किए गए धन, प्रयास और समय को देखते हुए और ऐसे संचालन के अनुसार खोजे जाने वाले या खोजे जाने की संभावना वाले खनिज की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ऐसे आर. पी. या पी. एल. धारक को संचालन के अगले चरण को शुरू करने के लिए एक तरजीही अधिकार मिलेगा।

19. अधिनियम की धारा 17 ए इस प्रकार हैः

"17 ए। संरक्षण के उद्देश्यों के लिए क्षेत्र का आरक्षण।–

(1) केंद्र सरकार, किसी भी खनिज के संरक्षण की दृष्टि से और राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद, किसी भी क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है जो पहले से ही किसी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है और जहां वह ऐसा करने का प्रस्ताव करती है, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र और खनिज या खनिजों की सीमाओं को निर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में ऐसा क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

(1क) केंद्र सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी या निगम के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन संचालन के लिए ऐसे किसी भी क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है जो पहले से किसी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है, और जहां वह ऐसा करने का प्रस्ताव करती है, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र और खनिज या खनिजों की सीमाओं को निर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में ऐसा क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मंजूरी से, किसी भी क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है जो पहले से ही किसी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है, किसी सरकारी कंपनी या ए. के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन संचालन करने के लिए। निगम जिसका स्वामित्व या नियंत्रण उसके पास है और जहां वह ऐसा करने का

प्रस्ताव करता है, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र और खनिज या खनिजों की सीमाओं को निर्दिष्ट करेगा जिनके संबंध में ऐसे क्षेत्र आरक्षित होंगे।

(3) जहां, यथास्थिति, उप–धारा (1क) या उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें खनिज किसी निजी व्यक्ति में निहित हैं, पूर्वेक्षण या खनन कार्य करती है, वह समय–समय पर उसी दर पर पूर्वेक्षण शुल्क, रॉयल्टी, पृष्ठीय किराया या मृत किराया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जिस दर पर वह इस अधिनियम के तहत देय होता, यदि ऐसा पूर्वेक्षण या खनन कार्य किसी निजी व्यक्ति द्वारा पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत किया गया होता।"20. हालाँकि, इस मामले में हम मुख्य रूप से धारा 17 ए (2) के साथ काम कर रहे हैं, हम महसूस करते हैं कि अधिनियम की धारा 17 ए के विभिन्न भागों के प्रावधानों का विश्लेषण करना उचित होगा। धारा 17 ए (1) के तहत केंद्र सरकार के पास किसी भी खनिज के संरक्षण के लिए किसी भी क्षेत्र को आरक्षित करने की शक्ति है। केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद इस शक्ति का प्रयोग करना होता है।हालाँकि, एक चेतावनी है कि यदि उक्त क्षेत्र के लिए पी. एल. या एम. एल. किसी व्यक्ति के पास है तो केंद्र सरकार उस क्षेत्र को आरक्षित नहीं कर सकती है।धारा 17 ए की उप–धारा (1ए) के तहत, केंद्र सरकार के पास सरकारी कंपनियों के माध्यम से संभावना या खनन संचालन के लिए आरक्षित क्षेत्रों के लिए समान शक्ति है, लेकिन फिर से, ऐसे क्षेत्रों को किसी भी पीएल या एमएल के तहत नहीं रखा जाना चाहिए था। जहां तक धारा 17 ए (2) का संबंध है, यह प्रावधान राज्य सरकार को राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा संभावित या खनन के लिए पी. एल. या एम. एल. के तहत नहीं रखे गए क्षेत्र को आरक्षित करने की शक्ति देता है।हालांकि, यह केवल केंद्र सरकार की मंजूरी से ही किया जा सकता है और इस तरह से आरक्षित क्षेत्र को खनिज और खनिजों के साथ आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना चाहिए, जिसके लिए क्षेत्र आरक्षित किया गया है।यद्यपि हम इस मामले में अधिनियम की धारा 17 ए की उप–धारा (3) से सीधे तौर पर संबंधित नहीं हैं, उक्त उप–धारा में प्रावधान है कि जहां केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, किसी भी क्षेत्र में पूर्वेक्षण या खनन कार्य करती है जिसमें खनिज निजी व्यक्ति में निहित होता है, तो केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार पूर्वेक्षण शुल्क, रॉयल्टी, सतह किराया, मृत किराया आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।..

21. हम इस स्तर पर अधिनियम की धारा 2 का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैः

"2. संघ नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा।– ऐसा होता है।

एतद्द्वारा घोषणा की गई कि जनहित में यह समीचीन है कि संघ को खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।"

सामग्री

22. भारत संघ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह ने कहा कि अधिनियम की धारा 17 ए (2) राज्य सरकार को किसी भी राज्य सरकार के उपक्रम के लिए पीएल या एमएल के तहत नहीं रखे गए किसी भी क्षेत्र को आरक्षित करने का अधिकार देती है।हालांकि, यह केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन है।उनका तर्क है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना किसी क्षेत्र (पी. एल. या एम. एल. के तहत नहीं) को आरक्षित नहीं कर सकती है।उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करते समय स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाना होगा और अनुरोध पर विचार करते समय वह खनिज नीति को ध्यान में रख सकती है।इसलिए, उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि संघ खनिज नीति में निर्धारित मापदंडों को ध्यान में नहीं रख सकता है। उनके अनुसार, अधिनियम की धारा 17 ए (2) से 'टोही अनुमति' शब्दों की अनुपस्थिति केवल यह इंगित करती है कि जबकि उन क्षेत्रों के लिए जिनके लिए पीएल या एमएल दिया गया है, एक पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन जहां केवल आरपी दिया गया है, वहां कोई प्रतिबंध नहीं है और राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी से उस क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है।

23. अपीलार्थीगण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने श्री मनिंदर सिंह की दलीलों को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने यह भी आग्रह किया कि आर. पी. धारक द्वारा किए जाने वाले भारी निवेश को देखते हुए, अधिनियम की धारा 11 के तहत यह उनकी वैध अपेक्षा है कि उन्हें पी. एल. मिलेगा। वह आगे प्रस्तुत करती है कि एचजीएमएल ने आरपी या पीएल के अनुदान के लिए कोई आवेदन जमा नहीं किया था। इसलिए, जियोमिसोर और दक्कन के आवेदन समय से पहले होने के कारण, विचार किया जाना चाहिए था। उन्होंने वर्ष 2015 में इसके संशोधन से पहले और बाद में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि सरकार का इरादा उद्योग में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे निजी निवेशक भारी राशि का निवेश करने के बाद संकट में न रहें और टोही के चरण से संभावना और फिर खनन के लिए निर्बाध संक्रमण हो।

24. कर्नाटक राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसव प्रभु एस. पाटिल ने कहा कि यह वह राज्य है जो खनिजों का मालिक है और हमारे देश के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए, संघ राज्य की शक्ति पर हावी नहीं हो सकता है।उनके अनुसार, अधिनियम की धारा 2 संघ को राज्य सरकार के दावे को उन आधारों पर अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देती है जो कानून में ही प्रदान नहीं किए गए हैं।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 2010 की पहली रिट याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय ने पक्षों के बीच के मुद्दों का फैसला किया और जो न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम करेगा।उन्होंने प्रस्तुत किया कि पहले के फैसले में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जियोमिसोर और दक्कन द्वारा दावा किया गया तरजीही अधिकार अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत राज्य सरकार की शक्ति पर हावी नहीं हो सकता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा पारित दोनों आदेशों में लिए गए आधार लगभग समान हैं।उनके अनुसार, चूंकि अधिनियम की धारा 17 ए (2) से 'टोही अनुमति' शब्दों को हटा दिया गया है, इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के दावे को इस आधार पर खारिज नहीं कर सकती थी जो इस तथ्य से सीधे संबंधित हैं कि जियोमिसोर और डेक्कन ने इस तरह के टोही अनुमति को आगे बढ़ाने के लिए टोही की थी।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एन. एम. पी., 2008 बाध्यकारी नहीं था और एन. एम. पी., 2008 के खंड 3.2 का संदर्भ दिया है, जो इंगित करता है कि नीति में जो निर्धारित किया गया है वह लक्ष्य हैं और अधिनियम, खनिज रियायत नियम और खनिज रियायत विकास नियम नीति के अनुरूप संशोधित किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि ये संशोधन वर्ष 2015 में किए गए थे और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य के दावे को अस्वीकार करने के लिए इस नीति का सहारा नहीं लिया जा सकता था।

25. एच. जी. एम. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. यू. सिंह और श्री जयदीप गुप्ता ने कहा कि जियोमिसोर और डेक्कन को आर. पी. दिए जाने से पहले ही एच. जी. एम. एल. ने इस क्षेत्र में बहुत काम कर लिया था।उनके अनुसार, अधिनियम में संशोधन के बाद अब इन खदानों की नीलामी ही की जा सकती है। रिलायंस को पैरा 160 पर रखा गया है।

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड बनामभारत संघ और अन्य 2. मामला।यह था।

आग्रह किया कि राज्य सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते समय केंद्र सरकार द्वारा ध्यान में रखे गए कारक प्रासंगिक कारक नहीं थे।उनके अनुसार, धारा 17 ए (2) के तहत आरक्षित क्षेत्र का राज्य का अधिकार भूमि और खनिजों के मालिक के रूप में राज्य के सर्वोच्च अधिकार से बहता है।

मुद्दे

26. चार मुख्य प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने की आवश्यकता हैः(i) क्या भूमि और खनिजों की स्वामी होने के नाते राज्य सरकार यह दावा कर सकती है कि अपने उपक्रमों द्वारा खनिजों के दोहन के लिए ऐसी भूमि को आरक्षित करने का उसका प्रस्ताव वस्तुतः केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी है?

(ii) अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत भूमि के आरक्षण के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करते समय केंद्र सरकार किन बातों पर विचार कर सकती है?

(iii) क्या अधिनियम की धारा 11 (1) और धारा 17 ए (2) पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती है और अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत किसी मामले पर विचार करते समय अधिनियम की धारा 11 (1) के संदर्भ में आरपी धारक को दिए गए वरीयता के अधिकार का क्या प्रभाव पड़ता है?(iv) क्या वर्तमान मामले में केंद्र सरकार कर्नाटक राज्य के प्रस्ताव को अस्वीकार करना उचित है?27. इस अधिनियम को शुरू में खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम (संक्षेप में 'एम. एम. आर. डी. अधिनियम') के रूप में अधिनियमित किया गया था।उस समय, एम. एम. आर. डी. अधिनियम में कोई धारा 17 ए नहीं थी, जिसे बाद में डब्ल्यू. ई. एफ. 10.02.1987 पेश किया गया था।एम. एम. आर. डी. अधिनियम की धारा 17 उन भूमि से संबंधित है जिनमें खनिज राज्य सरकार के पास निहित हैं।उप-धारा (2) के तहत, केंद्र सरकार को किसी भी क्षेत्र में पूर्वेक्षण या खनन संचालन करने का अधिकार था जो पहले से किसी पी. एल. या एम. एल. के तहत नहीं था। हालाँकि, यह संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद ही किया जा सकता है।इसलिए, एम. एम. आर. डी. अधिनियम की धारा 17 ने केंद्र सरकार को संभावित संचालन करने का अधिकार दिया।1999 के अधिनियम 38 के माध्यम से एम. एम. आर. डी. अधिनियम का नाम 'खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम' से बदलकर 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम' कर दिया गया। इसी अधिनियम द्वारा, अधिनियम की धारा 17 में, 'टोही' और 'टोही अनुमति' शब्दों को डब्ल्यू. ई. एफ. 18.12.1999 में पेश किया गया था।इससे पहले, टोही की कोई अवधारणा नहीं थी।अधिनियम के प्रावधानों के तहत, धारा 17 ए के लागू होने से पहले, कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था जो राज्य सरकार को किसी भी

भूमि को आरक्षित करने का अधिकार देता हो।हालांकि, खनिज रियायत नियम, 1960 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत नियम 58 में एक प्रावधान था, जो राज्य सरकार को ऐसी भूमि को आरक्षित करने का अधिकार देता था।10.02.1987 पर धारा 17A लागू किए जाने के बाद, A पर नियम 58 को हटा दिया गया था। 13.04.1988।हम इन तथ्यों की ओर इशारा कर रहे हैं क्योंकि धारा 17 ए के लागू होने से पहले दिए गए कुछ निर्णयों को नियमों के नियम 58 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

28. अमृतलाल नाथूभाई शाह और अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार और अन्य 3 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य

भूमि का स्वामी होने के नाते, भूमि को आरक्षित करने का हकदार था और इसलिए, निजी पक्षों के आवेदनों को अस्वीकार करने में उचित था।यह निर्णय नियमों के नियम 58 के संदर्भ में दिया गया था, जैसा कि उस समय मौजूद था।

29. राज्य में टी. एन. वी.मेसर्स हिंद स्टोन और अन्य 4, राज्य

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु लघु खनिज रियायत नियम बनाए।नियम 8–सी के तहत, काले ग्रेनाइट, एक लघु खनिज, की खुदाई का अधिकार राज्य सरकार के पक्ष में सुरक्षित रखा गया था और इसके निगमों की इस नियम की वैधता को इस आधार सहित विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी कि एम. एम. आर. डी. अधिनियम, 1957 राज्य सरकार को इस तरह का आरक्षण करने का अधिकार नहीं देता है।इस न्यायालय ने इस दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि राज्य भूमि और खनिजों का मालिक है और यह भी कि छोटे खनिज राज्य सरकार में निहित हैं।न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

"6. नदियाँ, वन, खनिज और ऐसे अन्य संसाधन किसी भी राष्ट्र की प्राकृतिक संपत्ति होते हैं।इन संसाधनों को किसी एक पीढ़ी द्वारा नष्ट और समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।प्रत्येक पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से विकास और संरक्षण करे। यह मानव जाति के हित में है।यह राष्ट्र के हित में है। लघु खनिजों के मामले में, केंद्र सरकार के साथ परामर्श के बाद राज्य सरकार को भी इसी तरह का अधिकार प्राप्त है।जिस जनहित ने संसद को खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 2 में निहित घोषणा करने के लिए प्रेरित किया,

स्वाभाविक रूप से खानों के विनियमन और खनिजों के विकास से संबंधित सभी मामलों में सर्वोपरि विचार होना चाहिए।संसद की नीति अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। यह समुदाय को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने की दृष्टि से खनिजों का संरक्षण और विवेकपूर्ण और भेदभावपूर्ण दोहन है।नेतृत्व करने और मार्गदर्शन करने के लिए स्पष्ट संकेत हैं नियम बनाने के मामले में अधीनस्थ विधायी प्राधिकरण। अधिनियम के अन्य प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 4–ए, 17 और 18 द्वारा प्रकाश में देखे जाने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 15 के तहत नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने निजी पक्षों के पक्ष में काले ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए पट्टे पर प्रतिबंध लगाने में अपनी शक्तियों को पार कर लिया है और यह निर्धारित करते हुए कि राज्य सरकार स्वयं काले ग्रेनाइट के उत्खनन में संलग्न हो सकती है या पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी निगम के पक्ष में काले ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए पट्टे दे सकती है।"

यह इंगित करना उचित होगा कि इसी मामले में इस न्यायालय ने प्रारंभिक पैरा में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"।..अब दलों के बीच यह साझा आधार है कि संसद द्वारा अधिनियम की धारा 2 द्वारा की गई घोषणा के परिणामस्वरूप, राज्य विधानसभाओं को खानों और खनिज विकास के विनियमन के संबंध में उनकी पूरी विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया है और पूरे विधायी क्षेत्र को संसद द्वारा ले लिया गया है।

30. यह भी बताना उचित होगा कि अमृतलाल नाथूबाई शाह (ऊपर) और हिंद पत्थर (ऊपर) दोनों अधिनियम में धारा 17 ए के लागू होने से पहले तय किए गए थे।

31. इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ

& ओआरएस। 5, यह न्यायालय अधिनियम की धारा 17 ए पर विचार कर रहा था। निम्नलिखित अवलोकन प्रासंगिक हैं:

"46. इस बिंदु को छोड़ने से पहले, हम केवल 1986 के बाद की स्थिति का उल्लेख कर सकते हैं।1986 का केंद्रीय अधिनियम 37 उप–धारा (2) अंतःस्थापित करता है जो राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में शोषण के लिए आरक्षित क्षेत्रों का अधिकार देता है।यह प्रावधान कुछ महत्वपूर्ण मामलों में नियम 58 से अलग है –

(i) आरक्षण के लिए सी. जी. की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

(ii) आरक्षण केवल उन क्षेत्रों का हो सकता है जो वास्तव में पी. एल. या एम. एल. के तहत नहीं हैं।

(iii) आरक्षण केवल सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम (एस. जी. या सी. जी. के स्वामित्व या नियंत्रण में) द्वारा शोषण के लिए हो सकता है, लेकिन सरकार द्वारा शोषण के लिए नहीं हो सकता है।

जाहिर है, धारा 17–ए (2) और नियम 58 एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि धारा 17–ए एस. जी. को केवल सी. जी. की मंजूरी के साथ आरक्षित करने का अधिकार देती है, जबकि नियम 58 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था।उनके शब्दों में भी थोड़ा अंतर था।.."

32. राज्य में टी. एन. वी.एम. पी. पी. कावेरी चेट्टी 6, अनुभाग से संबंधित

अधिनियम के 17 ए (2) में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:15. धारा 17–ए (2) तब लागू होती है जब राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को विशेष रूप से किसी सरकारी कंपनी या निगम के माध्यम से खनन कार्यों के लिए आरक्षित करने की मांग की जाती है।जब ऐसे क्षेत्र को अधिसूचित किया जाता है तो खनिज या खनिज जिनके संबंध में इसे अधिसूचित किया जाता है, उनका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।ऐसा आरक्षण केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है।"

33. उच्च न्यायालय ने इंडियन चार्ज क्रोम (उपरोक्त) में तीन–न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।अधिनियम की धारा 11 और धारा 17 ए के बीच परस्पर क्रिया पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"16. जैसा कि हम इसे देखते हैं, धारा 17–ए के तहत शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है।यह अधिनियम की धारा 11 के तहत उपलब्ध शक्ति से संबंधित नहीं है। केंद्र सरकार के लिए धारा 17–ए (1) के संदर्भ में किसी क्षेत्र को आरक्षित करने का अधिकार है यदि इसे समीचीन माना जाता है और यह राष्ट्र के हित में है या किसी विशेष धातु या अयस्क या इसका उत्पादन करने वाले क्षेत्र का संरक्षण करना आवश्यक है।केंद्र सरकार के लिए यह निर्णय लेने के लिए भी खुला है कि इस तरह के क्षेत्र का दोहन उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी या निगम द्वारा किया जाना चाहिए।बेशक, इस मामले में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है।धारा 17–ए की उप–धारा (2) के तहत, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, राज्य सरकार अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी या निगम के माध्यम से और उप–धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर और एक उपयुक्त मामले में,

उप–धारा (3) की शर्तों को भी पूरा करने के लिए शोषण करने के लिए किसी भी क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है जो पहले से किसी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं रखा गया है।पुनः, धारा 17–ए की उप–धारा (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग में धारा 11 के तहत आवेदनों के मनोरंजन या उसके तहत उपलब्ध वरीयताओं का कोई संदर्भ नहीं है।.."

34. इंडियन चार्ज क्रोम (उपरोक्त) में, क्रोमाइट अयस्क के खनन के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को) को 1812.993 हेक्टेयर भूमि का एक क्षेत्र दिया गया था।प्रारंभ में, पट्टा 1952 में दिया गया था, जिसे 1972 में नवीनीकृत किया गया था।हालाँकि, नवीनीकरण के समय, क्षेत्र को 1261.476 हेक्टेयर तक कम कर दिया गया था।1991 में टिस्को ने फिर से पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया लेकिन नवीनीकरण केवल 650 हेक्टेयर के संबंध में दिया गया था।टिस्को ने अपने क्षेत्र में उक्त कमी को चुनौती दी।इस बीच, विभिन्न निजी कंपनियों ने टिस्को के पक्ष में पट्टे के नवीनीकरण को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।इस अदालत में टिस्को द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था।केंद्र सरकार ने पुनर्विचार पर 406 हेक्टेयर के लिए टिस्को के पक्ष में पट्टे का नवीनीकरण किया और निर्देश दिया कि 855.476 हेक्टेयर के शेष क्षेत्र को अन्य दावेदारों के बीच पट्टे के रूप में वितरित किया जाए।इसके बाद, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक सिफारिश की कि 855.476 हेक्टेयर का आधा क्षेत्र अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत आरक्षित किया जाए और शेष आधा उन 4 आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है जिन्होंने अदालत में रिट याचिका दायर की थी।इसके बाद, कुछ अन्य पक्षों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दावा किया कि उन्हें भी खनन अधिकार दिए जाने चाहिए।उड़ीसा सरकार ने तब शेष भूमि को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद "ओएमसी" के रूप में संदर्भित किया गया है) को पट्टे पर देने का निर्णय लिया।राज्य सरकार की इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।भारतीय प्रभार क्रोम (उपरोक्त) में यह न्यायालय उन 4 अन्य आवेदकों द्वारा दायर अपीलों पर विचार कर रहा था, जिन्हें खनन पट्टा दिया गया था और ओएमसी और राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर भी विचार कर रहा था।यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि केंद्र सरकार ने धारा 17 ए (2) के तहत क्षेत्र को आरक्षित करने के राज्य सरकार के अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लिया था और अंत में केंद्र सरकार को भूमि के आरक्षण के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर पहले विचार करने का निर्देश दिया और कहा कि निजी आवेदकों को खनन पट्टे दिए

जाने की यह आकस्मिकता केवल तभी उत्पन्न होगी जब केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी नहीं देती है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः–

32. यह आकस्मिकता तभी उत्पन्न हो सकती है जब केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 17–ए (2) के तहत राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी नहीं देती है।

35. यह स्पष्ट रूप से परिकल्पना करता है कि इस न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय ए की मंजूरी के बिना आरक्षण नहीं दे सकती है। सरकार।यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस न्यायालय ने राज्य सरकार को केंद्र सरकार से एक नया अनुरोध करने का निर्देश दिया और आगे निर्देश दिया कि इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देश अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने और एक स्वतंत्र निर्णय लेने में केंद्र सरकार के रास्ते में नहीं आ सकते हैं और न ही आ सकते हैं।

36. संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड के मामले में v.

कर्नाटक राज्य और अन्य। 7, राज्य की शक्तियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 2 को देखते हुए, राज्य को उन मामलों के संबंध में अपनी स्वीकृत शक्ति से वंचित किया जाता है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।इसने आगे कहा कि राज्य सरकार को केवल अधिनियम और नियमों के अनुसार अपने कार्यों को उचित ठहराना है और राज्य सरकार को अधिनियम और नियमों के मानदंडों पर अपने कार्यों को उचित ठहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।अधिनियम की धारा 11 पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि एक आर. पी. धारक या पी. एल. धारक को पी. एल. या एम. एल. प्राप्त करने का अधिमानी अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो।न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैंः

"80. यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 11 (3) के प्रयोजनों के लिए विशुद्ध रूप से संसद की प्रतिनिधि और एक वैधानिक पदाधिकारी है, इसलिए यह इस तरह से कार्य नहीं कर सकती है जो खनन पट्टों के अनुदान में एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11 (1) के प्रावधानों के साथ असंगत हो।इसके अलावा, अधिनियम की धारा 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खानों और खनिज विकास का विनियमन केंद्र सरकार

के दायरे में आता है न कि राज्य सरकार के।वास्तव में, प्रत्यर्थीगण एमएमडीआर अधिनियम या एमसी नियमों में किसी अन्य प्रावधान की ओर इशारा नहीं कर पाए हैं जो पिछली प्रतिबद्धताओं के आधार पर खनन पट्टा देने की अनुमति देता है।जैसा कि सही बताया गया है, राज्य सरकार के पास एमएमडीआर अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को यह वचन देने का कोई अधिकार नहीं है कि वह भविष्य में किसी भी परियोजना में निवेश करने की स्थिति में खनन पट्टा प्रदान करेगी।यह मानते हुए कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई प्रतिबद्धता की थी, उसके लिए असंगत स्थिति लेना और किसी विशेष क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए आगे बढ़ना संभव नहीं हो सकता था।इसके अलावा, क्षेत्र को अधिसूचित करने के बाद, राज्य सरकार निश्चित रूप से अन्य आवेदकों को बाहर करके एक कथित प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं कर सकी, भले ही वे धारा 11 (3) में प्रदान किए गए योग्यता मानदंडों पर अधिक योग्य हों।"

37. मोनेट इस्पात (उपरोक्त) मामले में, न्यायमूर्ति लोढ़ा ने अपने प्रमुख फैसले में कहा कि अधिनियम की धारा 2 राज्य के अपने क्षेत्र के भीतर खदानों और खनिजों के स्वामित्व को प्रभावित नहीं करती है, हालांकि खदानों का विनियमन और खनिजों के विकास को संघ के नियंत्रण में ले लिया गया है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि केंद्र सरकार ने खदानों और खनिजों के विकास को विनियमित करने की शक्ति अपने हाथ में ले ली होगी, लेकिन राज्य को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है और इस निर्णय का पालन किया जा सकता है

अमृतलाल नाथुभाई शाह (ऊपर) के मामले में न्यायालय जिसमें यह था

यह अभिनिर्धारित किया गया कि "आरक्षण का आदेश देने का अधिकार इस तथ्य से प्रवाहित होता है कि राज्य अपने क्षेत्र के भीतर खदानों और खनिजों का मालिक है।"अधिनियम की धारा 17 ए से निपटने के लिए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस धारा का केवल संभावित संचालन होगा और इसलिए, यह पहले की अधिसूचनाओं को प्रभावित नहीं कर सकता है।इसके बाद, इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा 160 में निम्नलिखित निर्णय दियाः

"160. धारा 17–ए के तहत आरक्षण के प्रकार और उनके दायरे पर इस न्यायालय द्वारा इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड में पैरा 45 और 46 (पीपी।रिपोर्ट का 136–39)।मैं इस दृष्टिकोण से सम्मानजनक

रूप से सहमत हूं।हालांकि, यह तर्क दिया गया कि धारा 17–ए (2) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र के आरक्षण से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।तर्क धारा 17–ए (2) के गलत पढ़ने पर आधारित है।यह प्रावधान "पूर्व अनुमोदन" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है जिसका उपयोग धारा 11 में किया गया है।दूसरी ओर, धारा 17–ए (2) में "केंद्र सरकार की मंजूरी से" शब्दों का उपयोग किया गया है।धारा 17–ए (2) के इन शब्दों की तुलना केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से नहीं की जा सकती है।मेरे अनुसार, धारा 17–ए में अनुध्यात अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की शक्ति के प्रयोग से पहले या ऐसी शक्ति के प्रयोग के बाद प्राप्त किया जा सकता है।धारा 17–ए (2) में केंद्र सरकार द्वारा अनुध्यात अनुमोदन स्पष्ट या निहित हो सकता है।वर्तमान जैसे मामले में जहां केंद्र सरकार ने खनन पट्टा देने के लिए अपीलकर्ताओं के आवेदन को अस्वीकार करते हुए 2006 की अधिसूचना पर भरोसा किया है, इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि केंद्र सरकार ने 2006 की अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा किए गए आरक्षण को मंजूरी दे दी है अन्यथा वह उस पर कार्रवाई नहीं करती।किसी भी मामले में, केंद्र सरकार ने 2006 की अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा किए गए आरक्षण को अस्वीकार नहीं किया है।"

38. केरल राज्य में और ओआरएस. वी.केरल दुर्लभ पृथ्वी और

मिनरल्स लिमिटेड और अन्य। 8, इस न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने फिर से अधिनियम की धारा 17 ए के दायरे पर विचार किया और बहुमत के अनुसार निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:"15. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी या निगम के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन संचालन के लिए ऐसे किसी भी क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है जो पहले से किसी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं रखा गया है, लेकिन धारा 17–ए (उपर्युक्त) की उप–धारा (2) के संदर्भ में जहां सरकार ऐसा करने का प्रस्ताव करती है, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र और खनिज या खनिजों की सीमाओं को निर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में ऐसे क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे।वैध आरक्षण के लिए धारा 17–ए (2) से तीन अलग–अलग आवश्यकताएं सामने आती हैं।:

(i) आरक्षण केवल केंद्र सरकार की मंजूरी से हो सकता है और यह उन क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए जो पहले से ही किसी संभावित लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं हैं।

(ii) आरक्षण आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा किया जाना चाहिए; और

(iii) अधिसूचना में ऐसे क्षेत्रों और खनिज या खनिजों की सीमाओं को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिनके संबंध में ऐसे क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

"19. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि जबकि राज्य सरकार उन भूमि में खनिज भंडारों की मालिक है जो सरकार में निहित हैं जैसा कि मामले में स्थिति है, संसद ने 1957 के अधिनियम की धारा 2 में की गई घोषणा के कारण उक्त विधान द्वारा कवर किए गए विधायी क्षेत्र पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है।यह अधिनियम राज्य को अपने क्षेत्रों के भीतर स्थित खनिजों के स्वामित्व से वंचित नहीं करता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित सीमा तक देश में खानों और खनिजों के विकास को नियंत्रित करता है।यह इस प्रकार है कि यदि राज्य सरकार राज्य के स्वामित्व वाले निगम या कंपनी द्वारा शोषण के लिए किसी भी क्षेत्र को आरक्षित करने का प्रस्ताव करती है, तो उसे इस तरह के आरक्षण का सहारा लेना चाहिए। केंद्र सरकार के अनुमोदन से धारा 17–ए के संदर्भ में और उस क्षेत्र और खनिज या खनिजों की सीमाओं को निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना द्वारा जिसके संबंध में ऐसे क्षेत्र आरक्षित होंगे।चूंकि राज्य सरकार ने अब तक धारा 17–ए के संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, केरल राज्य सरकार की औद्योगिक नीति, 2007 का धारा 17–ए की समझ के भीतर वैध आरक्षण देने का प्रभाव नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि कोई वैध आरक्षण नहीं है क्योंकि वर्तमान में कोई भी बात नहीं है कि सरकार इस तरह का आरक्षण कर सकती है यदि कानून द्वारा निर्धारित तरीके से सलाह दी जाती है।दूसरे शब्दों में, इस अपील को खारिज करने से राज्य को विचाराधीन खनिज

भंडारों के संबंध में अधिसूचना जारी करके अधिनियम की धारा 17–ए (2) के तहत अपने अधिकार का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकेगा।.."

39. उपर्युक्त निर्णयों को सावधानीपूर्वक देखने पर, यह स्पष्ट होगा कि इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य भूमि और खनिजों का स्वामी है।हालांकि, खानों का नियंत्रण और विनियमन और खनिजों का विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।जहाँ तक वह क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार खानों और खनिज विकास के विनियमन के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अपनी विधायी शक्ति से वंचित है। यह केवल तभी है जब क्षेत्र खाली हो कि राज्य अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सके।अन्यथा, उसे अधिनियम और नियमों द्वारा राज्य सरकार को विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अपनी शक्ति का सख्ती से प्रयोग करना होगा।यह भी कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि अधिनियम की धारा 17 ए (2) में निहित आरक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते समय, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुमोदन लेना पड़ता है।इस मामले में, हमें पूर्व अनुमोदन के प्रश्न से निपटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई अनुमोदन नहीं है और वास्तव में, राज्य के अनुरोध को केंद्र सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

40. उपरोक्त निर्णयों में जो कहा गया है, उसके आलोक में हमने तत्काल मामले के तथ्यों की जांच की है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आरक्षण के लिए अनुरोध किया।मुकदमे के पहले दौर में, उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जियोमिसोर और डेक्कन के आवेदनों पर विचार करने से पहले अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया, जिसमें पहले गिने गए आधार भी शामिल हैं, जो एन. एम. पी., 2008 से आते हैं।तर्कों में ए है

यह सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार केवल राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के मुद्दों पर विचार कर सकती है और अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं दे सकती है।हम इस निवेदन से सहमत नहीं हैं।अधिनियम की धारा 17 ए (2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी से किसी सरकारी कंपनी या निगम के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को संभावित या खनन कार्यों के लिए आरक्षित कर सकती है।अधिनियम उन मापदंडों को निर्धारित नहीं करता है जिनका केंद्र सरकार को पालन करना आवश्यक है।हमारे विचार में, केंद्र सरकार उन सभी कारकों को ले सकती है जो यह तय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं कि आरक्षण दिया जाना चाहिए

या नहीं।एन. एम. पी., 2008, देश की एक नीति होने के नाते, इस तरह के अनुरोध पर विचार करते समय निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है।

41. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि सरकार की नीति कभी–कभी सरकार के लिए बाध्यकारी हो सकती है यदि विबंध या वैध अपेक्षा के सिद्धांत लागू हो जाते हैं।हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इस मामले में न तो वचन विबंध करने का सिद्धांत और न ही वैध अपेक्षा का सिद्धांत आकर्षित होता है।हम इन सिद्धांतों का संदर्भ केवल इस बात पर जोर देने के लिए दे रहे हैं कि सरकार की नीति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता।केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करते समय, विभिन्न कारकों को ध्यान में रख सकती है जिनमें आर्थिक कारक, वैश्विक विश्व समुदाय के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को दर्शाने वाले कारक और राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य कारक भी शामिल हैं।इसलिए, हम कर्नाटक उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं कि केवल उन कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है, जो अधिनियम या नियमों से निकलते हैं।

42. इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत, एक आर. पी. धारक, जिसने टोही की है, उस समय वरीयता का हकदार है जब उसके मामले पर पी. एल. के अनुदान के लिए विचार किया जा रहा है। हालांकि, अधिनियम की धारा 17 ए (2) में आरक्षण पर रोक केवल उन मामलों में है जहां भूमि पीएल या एमएल के तहत है। जब कोई भूमि पी. एल. या एम. एल. के तहत होती है, तो उक्त भूमि को आरक्षण के लिए भी नहीं माना जा सकता है।यदि आरक्षित की जाने वाली भूमि पी. एल. या एम. एल. के तहत नहीं है, तो राज्य भूमि आरक्षित करने का प्रस्ताव कर सकता है।यदि आरक्षित की जाने वाली भूमि आर. पी. द्वारा कवर की जाती है तो राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा शोषण के लिए भूमि आरक्षित करने पर कोई रोक नहीं है।तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य के प्रस्ताव पर विचार करते समय, केंद्र सरकार को आरक्षण देना चाहिए।केंद्र सरकार को मंजूरी देते समय स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाना पड़ता है और ऐसा करते समय, ऐसा कुछ भी नहीं है जो केंद्र सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखने से रोकता है कि किसी संस्था को आर. पी. और उसके प्रभाव की अनुमति दी गई थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार प्रस्ताव को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकती कि आर. पी. जारी किया गया था क्योंकि यह अधिनियम की धारा 17 ए (2) के प्रावधानों के विपरीत होगा। हालाँकि, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे भूमि के आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय लेते समय अन्य तथ्यों के साथ ध्यान में रखा जा सकता है।

बी.

43. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, केंद्र सरकार ने विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा और नोट किया कि आरपी के अनुसार जियोमिसोर और डेक्कन द्वारा पीएल आवेदन पहले ही दायर किए जा चुके थे। इसने वस्तुतः यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार का अनुरोध विलंबित चरण में था और एन. एम. पी., 2008 के प्रावधानों के खिलाफ था, जिसमें एक नियामक वातावरण प्रदान करने पर जोर दिया गया था जो निजी निवेश के लिए अनुकूल हो।यह सच हो सकता है कि केंद्र सरकार इस तथ्य से प्रभावित थी कि आरपी के अनुसार जियोमिसोर और डेक्कन ने टोही पूरी कर ली थी और अपनी समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन अन्य प्रासंगिक कारक भी थे जिन्हें ध्यान में रखा गया था जैसे कि जियोमिसोर और डेक्कन ने पहले ही पीएल के अनुदान के लिए आवेदन कर दिया था और एचजीएमएल के लिए आरक्षण देने में कोई सुरक्षा विचार या सार्वजनिक हित शामिल नहीं था। हमारे विचार में, केंद्र सरकार द्वारा ध्यान में रखे गए कारक मुद्दों के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त हैं और इन्हें ऐसे कारक नहीं कहा जा सकता है जो बाहरी हैं या जिन्हें ध्यान में नहीं रखा जा सकता था।

44. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, जब 27.12.2008 पर, कर्नाटक सरकार ने 161 वर्ग किलोमीटर की सिफारिश की थी।किमी.एच. जी. एम. एल. को भूमि आवंटित की जाए, कोई आरक्षण नहीं हुआ था क्योंकि केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं आई थी।वास्तव में, कर्नाटक राज्य ने उस क्षेत्र को अधिसूचित भी नहीं किया था, जिसे आरक्षित करने की मांग की गई थी और न ही उसने उन खनिजों की पहचान की थी जिनके लिए आरक्षण की मांग की गई थी।45. अधिनियम की धारा 17 ए (2) में निम्नलिखित चार शर्तों की परिकल्पना की गई है:(ए) भूमि संभावित लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है;

(बी) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन है;

(ग) सरकारी राजपत्र में ऐसे क्षेत्र की सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी की जाती है; और

(घ) ऐसी अधिसूचना में उन खनिज या खनिजों की पहचान की जानी चाहिए जिनके संबंध में ऐसे क्षेत्रों को आरक्षित करने की मांग की जाती है।

केवल पहली शर्त पूरी की गई थी।अन्य कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई।इसलिए कर्नाटक राज्य 27.12.2008 पर एच. जी. एम. एल. के पक्ष में सिफारिश जारी नहीं कर सकता था।गाड़ी को घोड़े के सामने नहीं रखा जा

सकता था।जब तक आरक्षण नहीं होता है, एक निजी कंपनी एक सरकारी कंपनी के समान ही खड़ी होती है और उस स्थिति में, अधिनियम की धारा 11 लागू होगी और जियोमिसोर और डेक्कन आरपी धारक होने के साथ–साथ पहले पीएल आवेदक होने के कारण, उन्हें वरीयता दी जानी थी।

निष्कर्ष

46. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, चार प्रश्नों के हमारे उत्तर इस प्रकार हैंः

(i) राज्य सरकार को भूमि और खनिजों का स्वामी होने के नाते, राज्य सरकार की कंपनियों या उपक्रमों द्वारा शोषण के लिए संभावित लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं रखी गई भूमि को आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव देने का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है।

(ii) केंद्र सरकार किसी विशिष्ट मानदंड से बंधी नहीं हो सकती है।प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।हालांकि, जैसा कि हमने ऊपर संकेत दिया है, केंद्र सरकार न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित के कारकों को ध्यान में रख सकती है, बल्कि आर्थिक कारकों, सरकार की नीति और ऐसे सभी अन्य कारकों को भी ध्यान में रख सकती है जो इस मुद्दे को तय करने के लिए प्रासंगिक हैं कि क्या भूमि को केवल राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा शोषण के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

(iii) अधिनियम की धारा 11 (1) और धारा 17 ए (2) का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है।अधिनियम की धारा 11 (1) आर. पी. धारक और पी. एल. धारक को क्रमशः पी. एल. और एम. एल. के अनुदान के लिए उनके मामले पर विचार करते समय वरीयता देने से संबंधित है।इसका अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत भूमि के आरक्षण से कोई लेना–देना नहीं है। एकमात्र संबंध, यदि इसे ऐसा कहा जा सकता है, तो यह है कि यदि कोई भूमि पी. एल. या एम. एल. के तहत है, तो अधिनियम की धारा 17 ए (2) के तहत कार्रवाई भी शुरू नहीं की जा सकती है।

(iv) ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम महसूस करते हैं कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य के भूमि को आरक्षित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

47. मामले से अलग होने से पहले, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि विशेष रूप से धारा 10 ए और धारा 10 बी के संबंध में एमएमडीआर अधिनियम में 2015 में किए गए संशोधनों के प्रभाव पर हमारे सामने तर्क दिए गए थे। हम इन मुद्दों से नहीं निपट रहे हैं, क्योंकि वर्तमान मामले का फैसला करने के लिए उन पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है।

48. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करने में गलती की है।तदनुसार, 2011 के डब्ल्यू. पी. No.25899 में 03.04.2012 पर पारित उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है और केंद्र सरकार के दिनांकित 31.05.2011 के फैसले को बरकरार रखा गया है और कर्नाटक राज्य को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पी. एल. के अनुदान के लिए जियोमिसोर और दक्कन के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया है क्योंकि वे अब वर्ष 2015 में संशोधित हैं।

49. अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों की अनुमति दी गई।

1 (2006) 12 एससीसी 331

2 (2012) 11 एससीसी 1

3 (1976) 4 एससीसी 108

4 (1981) 2 एससीसी 205

5 1992 सप.(1) एससीसी 91

6 (1995) 2 एससीसी 402

7 (2010) 13 एससीसी 1

8 (2016) 6 एससीसी 323